न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 16/2024

अपीलान्ट

1. श्रीमती शिवप्यारी पुत्री स्व.श्री देवीकिशन पत्नि श्री अशोक सेन, जाति नाई निवासी- ग्राम माणकलाव, हाल निवास 365 संत धाम रोड़ गुरो का तालाव जोधपुर
2. श्रीमती लीला पुत्री स्व.श्री देवीकिशन पत्नि श्री प्रेमकुमार, जाति नाई निवासी- ग्राम माणकलाव, हाल निवास सेन कालोनी चांदना भाखर जोधपुर

बनाम

रेस्पोंडेन्टस

1. चन्द्रादेवी पत्नि स्व.श्री देवीकिशन
2. दुर्गालाल पुत्र स्व.श्री देवीकिशन
3. हरिकिशन पुत्र स्व.श्री देवीकिशन
4. नवरतन पुत्र स्व.श्री देवीकिशन
5. महेन्द्र पुत्र स्व.श्री श्यामलाल
6. जितेन्द्र पुत्र स्व.श्री श्यामलाल
7. गर्वेश पुत्र स्व.श्री श्यामलाल
8. सुरेश पुत्र स्व.श्री श्यामलाल
9. श्रीमती पुष्पा पत्नि स्व.श्री श्यामलाल जातियान-नाई, निवासीगण ग्राम माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 564 ग्राम माणकलाव जो नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.08.1991 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति:- 1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल गोरा उपस्थित।
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित।
3. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 4 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 25.03.2025

अपीलान्ट श्रीमती शिवप्यारी पुत्री स्व.श्री देवीकिशन पत्नि श्री अशोक सेन जाति नाई निवासी ग्राम माणकलाव हाल निवासी 365 संत धाम रोड़,गुरो का तालाव, जोधपुर व अन्य की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोंडेन्ट चन्द्रादेवी पत्नि स्व.श्री देवीकिशन जाति नाई निवासी ग्राम माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर व अन्य के विरूद्ध नायवतहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.08.1991 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 564 ग्राम माणकलाव को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट की पुश्तैनी कृपि भूमि वाके ग्राम माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 473 रकवा 67 बीघा 14 विस्वा भूमि आई हुई है जो कि पूर्व समय में अपीलांट के पिता देवीकिशन पुत्र श्री खेंवराज जाति नाई सा देह खातेदार के खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट के पिता देवीकिशन जी का देहावसान दिनांक 08.12.1989 को होने के पश्चात उनके हक हिस्से की भूमि पर देवीकिशन जी के प्रथन श्रेणी के विधिक वारिसान जिनमें अपीलांटस दोनो पुत्रियां शिवप्यारी व लीला एवं देवीकिशन जी की पत्नि चन्द्रादेवी तथा देवीकिशन जी के चारो पुत्र दुर्गालाल श्यामलाल हरिकिशन नवरतन संयुक्त रूप से उपरोक्त खसरे की भूमि पर काबिज काश्त हो गये जो आज दिनांक तक सभी संयुक्त रूप से काबिज उपभोग उपयोग चले आ रहे है। देवीकिशन जी के परिवार का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:-

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

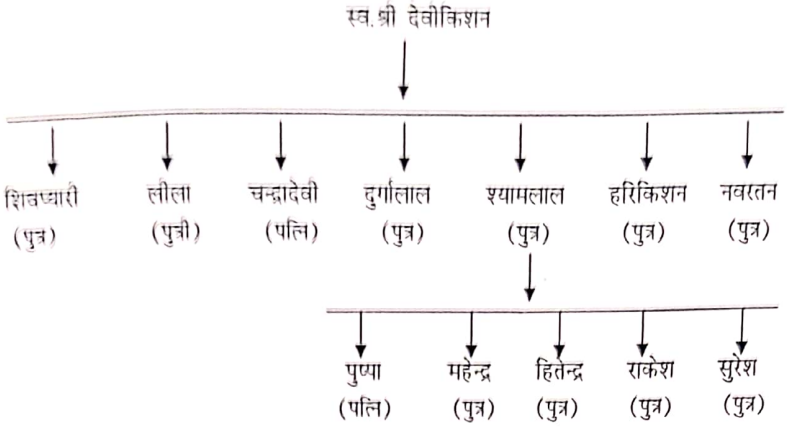

उक्त वर्णित खसरा संख्या 473 रकबा 67 बीघा 14 बिस्वा भूमि में अपीलांट संख्या 1 शिवप्यारी व 2 लीला का 1/7-1/7 हक व हिस्सा बनता है जिस पर अपीलांटस अपने पुश्तैनी हक अधिकार की भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है, अपीलांट के पिता देवीकिशन जी का देहावसान दिनांक 08-12-1989 को हो गया, जिससे उनके स्थान पर विरासत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो के साथ मिली भगत कर मात्र चार पुत्र व पत्नि का नाम दर्ज करवा दिया, जबकि अपीलान्टस देवीकिशन जी की पुत्रियां होने से उनके प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है लेकिन उनका नाम नामान्तरकरण संख्या 564 में दर्ज नहीं किया गया। अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 564 दिनांक 03-08-1991 को नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा मृतक के विधिक वारिसानो की जांच किये बिना, विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेंटस के साथ मिलीभगत कर स्वीकृत किया गया जो अवैध है। उक्त नामांतरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर एवं नोटिस नहीं दिया गया तथा मृतक के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान की जांच भी नहीं की गयी। उक्त अपीलाधीन नामांतरकरण नायब तहसीलदार ने गलत तरीके से स्वीकृत किया है वास्तव में विरासत का नामांतरकरण हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया जाता है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जांच कर प्रस्ताव लिया जाकर विरासत का नामांतरकरण स्वीकार व अस्वीकार किया जाता है लेकिन उक्त नामांतरणकरण में ऐसी कोई विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया एव हल्का पटवारी व नायब तहसीलदार ने बिना जांच किये रेस्पोडेंट के साथ मिलीभगत कर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। यदि हल्का पटवारी द्वारा नामांतरणकरण ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया जाता एवं ग्राम पंचायत 45 दिन तक अगर कोई नामांतरणकरण पर कोई कार्यवाही नही करती है तो हल्का पटवारी तहसीलदार के समक्ष पेश कर सकता है लेकिन उक्त नामांतरणकरण में ऐसी कोई प्रक्रिया नही अपनाई गई। उक्त नामांतरणकरण तहसील कार्यालय में बैठकर एक ही दिन में हल्का पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व नायब तहसीलदार ने रेस्पोडेंट के साथ मिलीभगत कर बिना जांच स्वीकृत कर दिया। अपीलाधीन नामांतरणकरण विरासत का नांमान्तरकरण था, जिसमे विरासत के नामांतरणकरण में मृतक के विधिक वारिसानों की जांच की जाती है। मृतक के विधिक वारिसान को जरिये नोटिस सूचित किया जाता है एवं विरासत के नामांतरणकरण से पूर्व ग्राम पंचायत से मृतक की वंशावली रिपोर्ट ली जाती है लेकिन उक्त नामांतरणकरण में हल्का पटवारी व नायब तहसीलदार द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नही की गई। उक्त नामान्तरकरण की प्रथम बार दिनांक 12.04.2022 को जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा अपने खसरे की भूमि का फसल बीमा करवाने के लिये राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी की नकल लेने पर उक्त गैर कानूनी कार्यवाही के जानकारी होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल दिनांक 28-08-2022 को लेकर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से अपील तैयार करवाने पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट से सम्पर्क कर अपीलान्ट को उनके हिस्से हिस्से की भूमि नाम करवा देने का आश्वासन दिया किन्तु रेस्पोडेन्टस अब अपीलान्ट के 2/7 हिस्से की भूमि उनके नाम करने में आनाकानी करने लगे तथा अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि आगे अन्य व्यक्तियो को बेचान करने पर आमादा है तथा दिनांक 12-04-2024 को रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलान्ट को बताया कि अब हम आपके नाम आपकी भूमि नही करवायेगे तथा आपको आपके हक अधिकार से वंचित कर देगें, तब अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से उसी रोज अपने खसरे की भूमि की जमाबन्दी व नक्शा एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 564 की नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से अपील तैयार करवा कर अविलम्ब प्रस्तुत की है जिससे अपीलान्ट को जानकारी के

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

अभाव में हुई देरी को माफ करने का निवेदन किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद शुमार करते हुए अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.08.1991 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 564 ग्राम माणकलाव को निरस्त कर खसरा संख्या 473 रकबा 67 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल गोरा ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए नायब तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिनांक 03.08.1991 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 564 ग्राम माणकलाव को निरस्त कर खसरा संख्या 473 रकबा 67 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से अपीलान्टस के हक हिस्से की भूमि अपीलान्टस के नाम दर्ज करने के आदेश हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में अपीलान्ट अधिवक्ता की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का RRT 2002 (1) Page 648, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच का RRT 2018 (1) Page 186, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान का RRD 2009 Page 61, माननीय राजस्व मण्डल RRD 2008 Page 22, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का RRT 2017(2) Page 1221, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का RRT 2009 (2) Page 931, माननीय राजस्व मण्डल RRD 1992 Page 226, माननीय राजस्व मण्डल RRD 2002 Page 65 को न्यायिक दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया।

रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि अपीलान्टस द्वारा वर्तमान अपील नामान्तरकरण संख्या 564 वर्ष 1991 में स्वीकार किया जाने के विरूद्ध बहुत वर्षो बाद पेश की गयी है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की शुरू से जानकारी थी तथा वर्ष 2015 में विवादग्रस्त भूमि का कुछ भाग अवाप्त किया गया जिसकी सूचना सार्वजनिक रूप से समाचार पत्र में प्रकाशित करवायी गयी। उक्त नामान्तरकरण के बारे में अपीलान्ट को प्रथम जानाकरी दिनांक 12.04.2022 को ही होने का कथन सरासर गलत व मनगढन्त है। दिनांक 28.08.2022 को अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के पास नामान्तरकरण की नकल लेकर नहीं आयी थी न ही अपीलान्टस से रेस्पोडेन्टस की इस बारे में बात हुई। अपीलान्टस ने तमाम तथ्य गलत लिखे है एवं काल्पनिक आधारों पर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कथन माने जाने योग्य नहीं होने एवं अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम माणकलाव के उक्त खसरा संख्या 473 रकबा 67 बीघा 14 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व 2 से 4 के पिता स्व. श्री देवीकिशन पुत्र खिंवराज जाति नाई के नाम से खातेदारी में दर्ज व मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व 2 से 4 के पिता स्व.श्री देवीकिशन के देहान्त के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 564 भरकर दिनांक 03.08.1991 को स्वीकृत किया गया तथा उक्त नामान्तरकरण पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्टस की अपील खारिज करने व नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.08.1991 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 564 ग्राम माणकलाव को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् अपील का निर्णय करने से पूर्व हम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलान्ट द्वारा अपने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में एवं अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन

जपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण संख्या 564 स्वीकृत करने से पूर्व कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया न ही स्व.श्री देवीकिशन के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान की जांच की गयी जिससे उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हो पायी, अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रथम बार दिनांक 12.04.2022 को होने पर अपने खसरे की भूमि का फसल बीमा करवाने के लिये जमाबन्दी की नकल ली तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल दिनांक 28.08.2022 की प्राप्त कर अपील तैयार करवाई, तब रेस्पोडेन्ट ने अपनी गलती स्वीकार कर अपीलान्ट के हिस्से की भूमि उनके नाम करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन फिर आनाकानी कर आगे बेचान की कार्यवाही करने लगे तब अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से अपने खसरे की भूमि की वर्तमान जमाबन्दी, नक्शा एवं नामान्तरकरण संख्या 564 की नकल प्राप्त कर अपील पेश करवायी, जिसे अपीलान्ट को जानकारी के अभाव में तथा अपीलान्ट को नामान्तरकरण की कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया तथा मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि के साथ साथ नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों की भी अनदेखी की है जिससे अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर मयाद शुमार कर स्वीकार करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के खण्डन बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त भी अपीलान्ट के समर्थन में है। अत: न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अपील का निर्णय इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.08.1991 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 564 ग्राम माणकलाव को निरस्त कर खसरा संख्या 473 रकबा 67 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश हेतु पेश की गयी है। ग्राम माणकलाव के उक्त खसरा की उक्त भूमि पूर्व से ही अपीलांट के पिता देवीकिशन पुत्र श्री खिंवराज जाति नाई साकिन देह खातेदार के खातेदारी में दर्ज थी जिनका देहावसान दिनांक 08.12.1989 को होने के पश्चात उनके हक हिस्से की भूमि पर उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान अपीलांटस उनकी पुत्रियां शिवप्यारी व लीला तथा रेस्पोडेन्टस उनकी पत्नि चन्दादेवी व उनके चारो पुत्र दुर्गालाल, श्यामलाल, हरिकिशन व नवरतन है। उक्त खसरा की उक्त पुश्तैनी भूमि पर अपीलान्ट संख्या 1 व 2 जो कि उनकी पुत्रियां है उनका हक व हिस्सा बनता है। स्व.श्री देवकिशन का दिनांक 08.12.1989 को देहान्त होने के पश्चात् उनके स्थान पर उनके पुत्रों द्वारा अपनी माता व अपने स्वयं के नाम पुत्रियों के नाम को छोड़ते हुए विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया गया है, जबकि अपीलान्टस स्व.श्री देवीकिशन की पुत्रियां होने व उनके प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होने पर भी उनका नाम नामान्तरकरण संख्या 564 में दर्ज नहीं किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्टस का जन्म से ही हिस्सा तय हो जाने से अपीलान्टस का नाम विरासत के नामान्तरकरण में लिखा जाना चाहिए था किन्तु अपीलाधीन नामांतरकरण स्वीकृत करने से पूर्व नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा मृतक स्व.श्री देवकिशन के विधिक वारिसानो की पूर्ण जांच नहीं की गयी एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है जबकि विरासत का नामांतरकरण को हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया जाता है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जांच कर प्रस्ताव लिया जाकर विरासत का नामांतरकरण स्वीकार व अस्वीकार किया जाता है लेकिन उक्त नामांतरणकरण में ऐसी कोई विधिक प्रकिया नहीं अपनायी गयी एव हल्का पटवारी व नायब तहसीलदार द्वारा बिना जांच व विधिक प्रकिया अपनाये अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन नामांतरणकरण विरासत का नांमान्तरकरण होने से मृतक के विधिक वारिसानों की जांच को जाकर उनको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है तथा ग्राम पंचायत से मृतक की वंशावली रिपोर्ट ली जाती है लेकिन उक्त नामांतरणकरण में हल्का पटवारी व नायब तहसीलदार द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नही की गई।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही एब-इनिशियो-वाईड था इस कारण से इस प्रकार के आदेश को किसी समय चैलेन्ज किया जा सकता है। अपीलान्टस स्व. श्री देवकिशन की जायन्दा पुत्रियां है तथा उनकी प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिनांक 03.08.1991 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 564 ग्राम माणकलाव को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे मृतक स्व.श्री देवकिशन की ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 473 रकबा 67 बीघा 14 बिस्वा खातेदारी की भूमि में से अपीलान्टस व उनके प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारियों की पूर्ण जांच कर व पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार अपीलान्टस एवं उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसानों के नाम उनके हक हिस्से अनुसार विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति मय अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर
जोधपुर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
(द्वितीय) जोधपुर
क्रमांक/कोर्ट/ए.डी.एम.II/72 दिनांक 27-3-2025
प्रतिलिपि मय आदेश प्रति एवं संबंधित अभिलेख सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

रीडर
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

To,
तहसीलदार (द०अ०)
जोधपुर

संलग्न:- मूल नामान्तरकरण संख्या 564
ग्राम माणकलाव
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner